संख्या-14/851/78-1-2013-25/2013

प्रेषक,

जी0पी0 कमल
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन 1
2- समस्त विभागाध्यक्ष् एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 09 सितम्बर, 2013

विषय:- उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.3 "वैट (वाणिज्यकर)" के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु अनुकूल व्यवसायिक वातावरण प्रदान कर तथा नीतिगत उपायों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक आकर्षक उद्देश्य (Attractive Destination) के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति कोक सुदृढ. करने उद्देश्य से शासनादेश संख्या:968/78-1-2013-25/2012 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2012 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 उद्घोषित की गई है। सूचना प्रौद्यगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 5.1.3 "वैट (वाणिज्यकर)" एवं प्रस्तर 5.2.3 "औद्योगिक विकास उपादान" में सावधि ऋण तथा कार्यशील पूँजी पर ब्याज उपादान प्रदान किये जाने की निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है।

प्रस्तर 5.1.3 "वैट (वाणिज्यकर)"

" ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित नई इकाईयॉ जिनमें पूँजी निवेश रू0 5 करोड या अधिक हो, व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 वर्ष

http://shasnadesh.up.nic.in

तक, प्रतिवर्ष जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।"

<u>प्रस्तर 5.2.3 औद्योगिक विकास उपादान</u>

"यदि द्वितीय एवं तृतीय सोपान के नगरों में तीन वर्षो की अवधि के भीतर वर्तमान इकाईयों द्वारा 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार (Capacity Enhancement) हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाईयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (सरकारी अभिकरणों से भूमि क्रय पर मिली छूट को छोडकर) के 50 प्रतिशत के बराबर औद्योगिक किवास प्रोत्साहन अनुमन्य होगे। वर्तमान इकाईयों द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व अपनी इकाई के वर्तमान (Status) संबंध में समस्त वांछित विवरण उपलब्ध कराते हुए आगामी विस्तार हेतु वांछित सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से टाई-अप करने इत्यादि का विवरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया
गया हो।"

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी नई एवं वर्तमान इकाईयों को ब्याज मुक्त ऋण निम्नाकिंत प्रतिबनधों एवं शर्तो के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2. <u>ब्याज मुक्त ऋण हेतु पात्रता</u>

उ0 प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के उपर्युक्त प्रस्तर के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु वे इकाईयां पात्र होंगी, जिनके द्वारा अधोलिखित शर्ते पूर्ण कर ली गयी है:-

i. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयॉ जिनके द्वार शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर रू0 5 करोड या उससे अधिक पूँजी निवेश कर व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी वर्तमान इकाईयॉ जिनके द्वारा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 के

http://shasnadesh.up.nic.in

समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष के भीतर रू0 5 करोड या अधिक के पूॅजी निवेश पर कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

3. **आच्छादन** :- उत्तर प्रदेश के सोपान-2 **(Tier-II)**व सोपान-3 **(Tier-III)** नगर

4. **परिभाषायें:-**

4.1 **"** नई इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि नई इकाईयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 होने वाली अवधि के अन्दर रू0 05 करोड या उससे अधिक पूॅजी निवेश कर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो तथा जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

4.2 " वर्तमान इकाई" का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली **(Proprietorship),** कम्पनियों, समितियों, साझेदारी आदि वर्तमान इकाईयों से है जिनके द्वार शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर 03 वर्षो में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त पूॅजी निवेश कर विस्तारित क्षमता व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हो तथा जिनके द्वारा उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बनिधत जिला उद्योग केन्द्र में विस्तारित क्षमता हेतु 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006 के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हों अथवा जिनके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो।

http://shasnadesh.up.nic.in

4.3 **"कम्पनी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योकगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी कम्पनी से है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया है।

4.4 **"सोसाइटी"** से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी सोसाइटी से है जिसका गठन सोसाइटीज अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किया गया

4.5 **"पार्टनरशिप"** से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है, जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम-1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

4.6 " पूँजी निवेश" का तात्पर्य भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि 31 अक्टूबर, 2012 को या उसके बाद पडती हो।

स्थिर पूँजी निवेश की गणना हेतु सम्बन्धित इकाई द्वारा पूर्व में प्रयोग की जा चुकी प्लाण्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4.7 "क्षमता विस्तार या विस्तारित क्षमता" से तात्पर्य किसी पात्र इकाई द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की अविध में 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार से है।

4.8 " वैट" का तात्पर्य Value Added Tax से है।

4.9 "केन्द्रीय बिक्री कर" का तात्पर्य सामान्य व्यवसायिक कार्य के अन्तर्गत पॅजीकृत वितरक द्वारा सामग्री के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर-योग्य विक्रय-धन (turnover) पर केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित अप्रत्यक्ष कर से है।

4.10 "वार्षिक विक्रय धन" का तात्पर्य पात्र इकाई द्वारा किये गये नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थाई पूँजी निवेश से निर्मित सामग्री एवं सेवाओं (Goods& Services) की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री/अतिरिक्त् बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में, की गयी बिक्री से है।

http://shasnadesh.up.nic.in

4.11 "ऋण की सीमा" किसी वर्ष में ऋण की सीमा जो किसी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य–कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा यथास्थिति उस वर्ष से अवशेष अवधि के विक्रय धन /अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नही होगी।

4.12 "वित्तीय संस्थान" से तात्पर्य रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थाओं एवं शेड़यूल्ड बैंकों से है।

4.13 "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि से वित्तीय संस्था द्वारा किसी पात्र इकाई को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी कार्यो हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किश्त उपलब्ध करा दी गयी हो।

4.14 "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य का दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

4.15 "सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग"

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/कम्पनियॉ इत्यादि सम्मिलित हैं जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/कम्पनियों में सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन्स (IT applications) सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें सम्मिलित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं का आशय बी0पी0ओ0(Business process outsourcijg)/के0पी0ओ0(Knowledge process outsourcijg)/परामर्श(Consulting)/एनीमेशन (Animation), गेमिंग(Gaming) तथा ज्ञान-आधारित उद्योग (Knowledge industry based) जैसे नैनो टेक्नोलॉजी (Nano Technologies), टेलीकम्युनिकेशन्स(टेली-सम्प्रेषण) आदि से है।

4.16 सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकॉम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के

http://shasnadesh.up.nic.in

माध्यम से प्राप्त होती है जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रॉसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रॉसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ऐनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैंक-ऑफिस ऑपरेशन्स-लेख एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फॉर्मेटिक्स, डेटा प्रॉसेसिंग तथा कॉल-सेन्टर आदि इनमें से कतिपय सेवाओं की सांकेतिक सूची नीचे दी गयी है:-

- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centers) तथा ई-मेल, हेल्प-डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैंक ऑफिस प्रॉसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया-इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग(रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें(Website development & maintenance Services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस(DAta Serch, Integration & Analyses) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network c onsulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Eduacation)
- एनीमेशन-(रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation) नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण(Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:-
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर

http://shasnadesh.up.nic.in

- ई0आर0पी0(Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
- सी0आर0एम0'ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
- एम0आर0एम0-(Marekting Resources Management)
- तकनीकी सहायता (Technical Support)
- बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)

o डेटा प्रॉसेसिंग
o सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
o सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
o डिजाइनिंग एण्ड डिजाइनिंग सिस्टम्स
o कॉल सेन्टर्स
  - वॉयस-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
  - डेटा-इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड-दोनों
o साफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
o आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था साहित)

उक्त के अतिरिक्त अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, जो उपर्युक्त् में सम्मिलित नहीं है, भी सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में सम्मिलित की जा सकेंगी।

4.17 वर्गीकरण (Classification):-

सोपान-1(Tier I): नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा

सोपान-2(Tier II): यथा लखनऊ, आगरा, कानपूर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर

सोपान-3 (Tier III) 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

मेगा परियोजनायें :- रू0 200 करोड से अधिक पूँजी

http://shasnadesh.up.nic.in

निवेश वाली परियोजनायें मेगा परियोजनायें मानी जायेंगी ।

4.18 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउन्टेट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री प्रथम तिथि से है।

4.19 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 के प्रस्तर 4.7 में परिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।

5. <u>ब्याज मुक्त का विवरण</u>

5.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सू0प्रौ0 जनित सेकवा सम्बन्धी ऐसी नई इकाईयाँ जिनका पूँजी निवेश भूमि, भवन प्लाण्ट एण्ड मशीनरी अथवा अन्य परिसम्पत्तियों पर रू0 50 करोड अथवा अधिक हों, पर ब्याज मुक्त ऋण हेतु पात्र होंगी।

5.2 इकाई द्वारा व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 10 वर्ष तक जमा किये गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुमन्य होगी।

5.3 उदाहरणार्थ रू 20 करोड पूँजीगत निवेश वाली एक इकाई वित्तीय वर्ष 2013-2014 परिचालन आरम्भ करती है और इस वर्ष वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में 10 वर्ष लाख की धनराशि जमा करती है। इस प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु इकाई द्वारा 30 जून 2014 तक आवश्यक प्रपत्र आदि सहित निर्धारित प्रारूप पर विधिवत भरा हुआ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा आवेदन का परीक्षण कर 31 मार्च 2015 अथवा उससे पूर्व ऋण वितरित किया जायेगा। इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु इस धनराशि की वापसी दिनांक 31 मार्च 2022 अथवा उससे पूर्व करनी होगी। आगामी वित्तीय वर्षो में प्राप्त ऋण धनराशि की वापसी भी इसी प्रकार करनी होगी।

5.4 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा सम्बन्धी ऐसी वर्तमान इकाईयाँ जिनके द्वारा 03 वर्ष के अन्दर 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता

http://shasnadesh.up.nic.in

विस्तार हेतु भूमि, भवन, प्लाण्ट एवं मशीनरी अथवा अन्य स्थिर परिसम्पत्तियो पर रू0 5 करोड अथवा अधिक पूँजी निवेश किये जाने पर , नई इकाइयों के लिए अनुमन्य प्रोत्साहनों के 50 प्रतिशत के समतुल्य ब्याज मुक्त ऋण अनुमन्य होगा।

5.5 वर्तमान इकाई द्वारा व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 10 वर्ष तक जमा किये गये वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 05 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुमन्य होगी।

5.6 नई इकाई/वर्तमान इकाई व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 वर्ष तक उक्त ऋण प्राप्त करने की पात्र होगी।

5.7 ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगी।

5.8 इस योजना का लाभ उन्हें नई/वर्तमान इकाईयों का अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का लाभ न लिया हो।

6. <u>ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया</u>

6.1 व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के पश्चात नई/वर्तमान इकाई द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों यथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, व्यापार कर विभाग, कर एवं निबन्धन विभाग, आवास विभाग के नोडल अधिकारियों को सूचित किया जायेगा कि नई इकाई द्वारा परियोजना की स्थापना की जा चुकी है अथवा वर्तमान इकाई द्वारा विस्तारित क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ किये जा चुके है। सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से इसकी पुष्टि का प्रमाण पत्र इकाई को प्रदान किया जायेगा।

6.2 व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि अर्थात 31 मार्च के बाद ब्याज मुक्त् ऋण हेतु नई/वर्तमान इकाई द्वारा आवेदन पत्र नीति कार्यान्वयन इकाई(पी0आई0यू0) को निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र-3 क) में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक होगें :-

http://shasnadesh.up.nic.in

6.2.1 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित, प्रथम विक्रय बीजक(first Sales Invoice) की प्रति

6.2.2 वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य-कर विवरणी की प्रति

6.2.3 पॅजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

6.2.4 सर्विस टैक्स पॅजीयन प्रामण-पत्र की प्रति

6.2.5 PAN Card की प्रति

6.2.6 वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति।

6.2.7 उद्योग निदेशालय उ0प्र0 के अधीन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अधिनियम 2006' के धारा 8 के अन्तर्गत ज्ञापन अथवा भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं सर्वधन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र ।

6.2.8 क्षमता एवं व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ करने की तिथि का प्रमाण पत्र

6.2.9 नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि एक प्लाण्ट एवं मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका समस्त मदवार विवरण व उसकी पूष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र।

6.2.10 बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक कम्पनी/इकाई द्वारा कितने ब्याज का भुगतान किया गया हो, का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण पत्र ।

6.3 नई/वर्तमान इकाई द्वारा ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

6.4 नई/वर्तमान इकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 30 जून होगी ।

6.5 आवेदन-पत्र का प्रोसेंसिग शुल्क, यदि कोई देय हो, नई/वर्तमान इकाई द्वारा वहन किया जायेगा तथा आवेदन प्रस्तुति के समय जमा किया

http://snashadesh.up.nic.in

जायेगा।

7. <u>ब्याज मुक्त ऋण की अवधि</u>

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने की तिथि से 07 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण अनुमन्य होगा।

8. <u>ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति एवं वसूली</u>

8.1 प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 जून तक पात्र नई/वर्तमानइकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चाटर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतिया पी0आई0यू0 को देय होगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत वैट तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि कोई पात्र इकाई वर्ष की समाप्ति के अग्रिम 30 जून तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु आवेदन देती है तो विलम्ब की अवधि उसकी 10 वर्ष की पात्रता अवधि के अन्तिम वर्ष से घटा दी जायेगी तथा इकाई अवशेष अवधि के लिए ही ब्याज मुक्त ऋण की पात्र होगी।

8.2 पात्र नई/वर्तमान इकाई को नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त् स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त् विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश वैट तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष के अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त् विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत होगी।

8.3 ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।

8.4 नई/वर्तमान इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में पीआईयू द्वारा इाकई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनायें/विवरण की मांग की जा सकती है।

http://shasnadesh.up.nic.in

पीआईयू द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त् अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

8.5 आवेदन पत्र में दिये गये विवरण एवं संलग्न दस्तावेजों का पीआईयू द्वारा सम्बन्धित विभागों एवं वित्तीय संस्थानों इत्यादि से सत्यापन कराया जायेगा। सम्बन्धित विभाग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा सत्यापन का कार्य पीआईयू द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज पीआईयू को दी जायेगी।

8.6 नई/वर्तमान इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को ब्याज मुक्त ऋण (Interest Free Loan) अनुमन्य कराने के संबंध में पीआईयू द्वारा संस्तुति शासन को विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

8.7 शासन द्वारा पीआईयू से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा कि इकाई को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कितनी धनराशि अनुमन्य है।

8.8 शासन द्वारा ब्याज मुक्त् ऋण की धनराशि को उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जायेगा जिसकी प्रतिलिपि पीआईयू एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की जायेगी।

8.9 शासनादेश निर्गत हो जाने पर इकाई एवं पीआइ्रयू के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

8.10 अनुबन्ध निष्पादित हो जाने के पश्चात पीआईयू द्वारा सम्बन्धित इकाई को ब्याज मुक्त् ऋण की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8.11 ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात ऋण भुगतान की अंतिम तिथि के 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जायेगा इस हेतु व्यवस्था मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैडिंग (एम.ओ.यू.) के माध्यम से पी0आई0यू0 द्वारा की जायेगी।

8.12 वितरित किये गये ऋण की वापसी ऋण वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पी0आई0यू0 को बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रानिक्स क्लियरेन्स के माध्यम से की जायेगी।

8.13 प्रत्येक वर्ष वसूल हुये ऋण की पीआईयू द्वारा उसी वर्ष राजकोष में संगत ऋण लेखा शीर्ष के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।

http://shashadesh.up.nic.in

8.14 निर्धारित अवधि में ऋण की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई को देरी की अवधि के लिए 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अथवा उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

8.15 ब्याज मुक्त ऋण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गयी धनराशि का समायोजन पहले मूलधन में किया जायेगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का समायोजन देय ब्याज, आदि कोई हो, में किया जायेगा।

8.16 पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियो पर आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगी जो ऋण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुये द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त् पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त् जमानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते है। पात्र इकाई से प्रतिभूति की कमी को आवश्यकतानुसार कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (Lien) सम्बन्धित विधिक औपचारिकतायें आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इकाई द्वारा वित्तीय संस्थान ब्याज मुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिये) भी स्वीकार किया जा सकता है।

8.17 निर्धारित तिथि पर भुगतान न किये जाने की दशा में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग पात्र इकाई केा करण बताओं नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरूद्ध बकाया धनराशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु 'वसूली प्रमाण पत्र' जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाद भी दायर करेगें या अन्य समुचित विधिक कार्यवाही करेगें व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्डिंग-अप के लिए सक्षम न्यायालय के अनुरोध करेगें।

8.18 इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाईयों की स्वीकृत की जायेगी जो राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों के देयों के भुगतान मं वितिथी (डिफॉल्टर) न हों तथा इस सम्बन्ध में

http://shasnadesh.up.nic.in

आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

8.19 प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की दशा में अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को एक सप्ताह में लिखित सूचित कर दिया जायेगा। अस्वीकृति विरूद्ध इकाई प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है, जिसपर निर्णय प्रस्तर-15 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जायेगा।

8.20 प्रत्येक वर्ष ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि की व्यवस्था हेतु बजट में आवश्यक प्राविधान कराये जाने के सम्बन्ध में पीआईयू द्वारा प्रस्ताव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को भेजा जायेगा तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के द्वारा इस निमित्त बजट में आवश्यक प्राविधान कराया जायेगा।

9. <u>प्रतिबन्ध</u>

पात्र इकाई पर प्रतिबन्ध होगा कि वे बिना प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के पूर्व लिखित स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्टीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्त्यिों को बेचेगी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामत्वि में कोई परिवर्तन करेगी।

10. <u>इकाईयों द्वारा शर्तो का उल्लघंन</u>

यदि किसी पात्र इकाई द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर 7 एवं 8 किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को इकाई को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, स्वीकृत ऋण निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ऐसे आदेश की तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष ऋण के भुगतान में विलम्ब की दशा के पात्र इकाई ऋण देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिय 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याहाज की देनदार होगी।

11. <u>पात्र इकाई के दायित्व</u>

http://shasnadesh.up.nic.in

ऋण देयता की अवधि में, पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें पी0आई0यू0/ आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

12. <u>न्यायायल का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकृत संस्थाओं के मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पी0आई0यू0/ आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा इकाई को "अण्डर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग" से भेजी गयी सूचना/नोटिस आदि विधिवत् तामील मानी जायेगी।

13. <u>व्ययभार</u>

ब्याज मुक्त ऋण में आने वाले सभी व्यय जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त् ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि के दो प्रतिशत के बराबर प्रशासनिक व्यय का भुगतान पात्र इकाई द्वारा पीआईयू केा किया जायेगा।

14. <u>अनुबन्ध</u>

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 एवं इस शासनादेश के प्रतिबन्ध/प्राविधानों के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने के प्रयोजनार्थ सम्बन्धित पात्र इकाई द्वारा पी0आई0यू0 के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

15. <u>समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण</u>

इस योजना के किसी बिन्दु पर शंका निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु आदेश आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में गठित एक समिति करेगी जिसमें निम्न सदस्य होगे:-

http://shasnadesh.up.nic.in

(क) प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो कि विशेष सचिव से न्यून स्तर का ना हो।

(ख) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग नामित नोडल अधिकारी जो कि विशेष सचिव से न्यून स्तर का ना हो।

(ग) प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो कि विशेष सचिव से न्यून स्तर का ना हो।

(घ) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन द्वारा नामित नोडल अधिकारी जो कि विशेष सचिव से न्यून स्तर का ना हो।

(च) नीति कार्यान्वयन इकाई का एक अधिकारी जो प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा नामित किया गया हो।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जी0पी0कमल)
संयुक्त सचिव

संख्या-14/851(1)/78-1/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को गोमती नगर लखनऊ ।
5. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

http://shasnadesh.up.nic.in

(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasnadesh.up.nic.in